राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3,महात्मा गांधी नरेगा)

एफ 10 (9) ग्रावि / नरेगा / सहा.कार्य.अधि / 10 जयपुर दिनांक 29 APR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समिति में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पदों को संविदा आधार पर अनुबन्धित करने सम्बन्धी ।**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पंचायत समिति स्तर पर संविदा के आधार पर कार्यक्रम अधिकारियों के पद सृजित कर अनुबन्ध के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी लगाये गये थे । राज्य सरकार द्वारा इन संविदारत कार्यक्रम अधिकारियों की अवधि आगे नहीं बढाने का निर्णय लेते हुये इनके पद के दायित्व के निर्वहन का अधिकार भी विकास अधिकारियों को इस विभाग के आदेश दिनांक 18.9.2009 द्वारा दिया गया । राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अब कार्यक्रम अधिकारियों के पदों को समाप्त कर सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक पंचायत समिति में अनुबन्ध के आधार पर लगाये जायेंगे। सहायक कार्यक्रम अधिकारी की संविदा पर नियुक्ति के लिये इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.09.2009 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस आदेश से व्यथित होकर कई संविदारत कार्यक्रम अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की । इन याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर उक्त विज्ञापन के माध्यम से सहायक कार्यक्रम अधिकारियो की संविदा भर्ती पर रोक लगा दी तथा याचिकाओं के निस्तारण तक याचिकाकर्त्ता कार्यक्रम अधिकारियों को उनके संविदा पदों से नहीं हटाने के आदेश भी दिये । बाद में इनमें से कई याचिकाओं पर निर्णय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.1.2011 को रिट याचिका संख्या 10616/09 कमलेश मीना व अन्य बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि " I dispose of all these writ petitions requiring the State Government to take a fresh decision as to continuity of the petitioners by designating them as Additional or Assistant Programme Officer keeping in view the fact that they were eligible for being appointed even on the higher post of programme officer when they were initially appointed against contractual post pursuant to the advertisement dated 4.06.2008 or otherwise. Such decision shall be taken by the government within a period of eight weeks starting from today. Services of the petitioners may be continued for this duration of eight weeks."

याचिकाकर्ताओं की सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद पर चयन के बारे में विचार कर निर्णय लिया जाना है । याचिकाकर्ताओं के नाम एवं याचिका संख्या की सूची संलग्न है। याचिकाकर्ताओं की सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद के लिये शैक्षणिक योग्यता वही रखी जावे जो इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 02.09.2009 में रखी गई थी। इस कार्यालय के द्वारा सहायक कार्यक्रम

अधिकारी के संविदा पद के लिये जारी विज्ञापन दिनांक 02.09.2009 के अनुसार निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी:–

1. एम.बी.ए.
2. ग्रामीण प्रबन्धन के एम.बी.ए. अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. योजनान्तर्गत पूर्व में जो आवेदक संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संतोषजनक कार्य कर चुके हैं, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।

सर्वप्रथम आपके जिले में संविदा पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावें। (आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है । इसमें अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जा सकते है) प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जावे। आवेदनकर्ताओं के आवेदन का निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जावे:–

1. आवेदनकर्ता की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ।
2. आवेदनकर्ता का कार्य संतोषजनक होने की रिपोर्ट ।
3. क्या आवेदनकर्ता के विरूद्ध कार्यरत रहने के दौरान कोई अनियमितता करने का प्रकरण दर्ज हुआ है ?
4. क्या आवेदनकर्ता के विरूद्ध कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुऐ गबन या अनियमितता के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है ?
5. क्या आवेदनकर्ता के विरूद्ध पूर्व में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया गया है ?
6. क्या आवेदनकर्ता से कोई गबन की राशि वसूल की गई है ?
7. क्या आवेदनकर्ता स्वेच्छा से लम्बे समय से अनुपस्थित रहकर संविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किया है ?

उपरोक्त बिन्दुओं पर आवेदन का परीक्षण करें। इस प्रकार जो अभ्यर्थी योग्य पाये जाये उनकी वरीयता सूची बनाई जावे। वरीयता सूची का आधार उनकी कक्षा 10, 12, स्नातक एवं एम.बी.ए. योग्यता के दौरान प्राप्त अंकों को बनाया जा सकता है। जिस पंचायत समिति में जिस आरक्षित वर्ग का संविदारत कार्यक्रम अधिकारी कार्यरत था, उसी आरक्षित वर्ग के कार्मिक को संविदा अनुबंधित किया जाना है ताकि इनके चयन के समय आरक्षण के नियमों की भी यथावत पालन की जा सके । इनका चयन कर इनको पंचायत समिति के सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर अनुबंधित किया जावे। अनुबंध प्रारूप विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/10–11 दिनांक 28.2.2011 द्वारा भिजवा दिया गया है। जिसके बिन्दु संख्या 2 स में अंकित अनुलग्नक– 'ख' प्रारूप में यह अनुबन्ध अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं सहायक कार्यक्रम अधिकारी के मध्य किया जाना है। इनकी अनुबन्ध अवधि दिनांक 29.02.2012 तक होगी। अनुबन्ध संविदा राशि रूपऐ 15000/– प्रतिमाह होगी। इनकी सेवायें पूर्णतया अनुबन्ध के आधार पर होगी तथा अस्थाई होगी। इन्हें कभी भी नियमित नहीं किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा इस संविदा पद की अवधि प्रति वर्ष आगे बढाने पर तथा इनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर इनका अनुबंध एक वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा।

इनको अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति के दौरान इनके अनुबन्ध पत्र में यह शर्त भी रखी जावे कि वो नियुक्ति के चार माह के भीतर राजस्थान नोलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स आवश्यक रूप से उत्तीर्ण करेंगे। इसकी फीस का पुनर्भरण उत्तीर्णता सर्टिफिकेट प्राप्त कर रसीद प्रस्तुत करने पर नरेगा प्रशासनिक मद से किया जायेगा। जो सहायक कार्यक्रम अधिकारी उक्त कोर्स उक्त

निर्धारित अवधि में नहीं करेगे उनका अनुबन्ध समाप्त कर उनकी संविदा निरस्त करने का उल्लेख अनुबंध में किया जावे एवं उन्हें तुरन्त हटा दिया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2011 की पालना में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के बाद जिले के शेष बचे हुये सहायक कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों को भी भरना है। इसके लिये भी जिलेवार रिक्त पदों की विज्ञप्ति राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों के केवल जयपुर एवं संबंधित जिले के संस्करण में जारी की जावे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना एवं शेष रहे पदों पर नियुक्ति हेतु एक ही विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। पहले उन पदों को भरे जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में भरे जाने हैं । इसके बाद शेष रिक्त रहे पदों को भरने के लिये प्राप्त आवेदनों पर विचार करें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.01.2011 की पालना के अलावा शेष रहे सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पद के लिये शैक्षणिक योग्यता में उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ–साथ कम्प्यूटर जानकारी के लिये DOEACC Society द्वारा कम्प्यूटर में 'O' Level कोर्स की योग्यता रखने वालों को प्राथमिकता दी जावे। यदि चयनित सहायक कार्यक्रम अधिकारी उपरोक्त 'O' Level कोर्स की योग्यता नहीं रखते हैं तो उनकी अनुबंध पर नियुक्ति की स्थिति में उनके अनुबंध में यह शर्त रखी जावे कि वे नियुक्ति तिथि के 4 माह के भीतर राजस्थान नालेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कॉर्स आवश्यक रूप से उत्तीर्ण करेगे। तब तक इनको मासिक मानदेय प्रतिमाह रूपये 13000 /– ही देय होगा । इनके द्वारा उपरोक्त सर्टिफिकेट कॉर्स करने पर ही प्रतिमाह 15000/– रूपये मानदेय देय होगा । इनके द्वारा राजस्थान नालेज कॉरपोरेशन से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर इस कॉर्स के लिए देय फीस का पुनर्भरण इन्हें महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासनिक मद से कर दिया जायेगा।

इस प्रकार सबसे पहले प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जावे एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जावे। जिले के शेष रहे रिक्त सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के संविदा पदों पर उपरोक्त वरीयता सूची में से दिनांक 29.02.2012 तक सेवा का संविदा अनुबन्ध किया जावे। ये संविदा पद पूर्णतया अस्थाई हैं एवं कभी भी नियमित नहीं किये जायेगे। इन पर नियमित नियुक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी। ये अनुबन्ध के ही पद रहेंगे जिन्हें प्रतिवर्ष अनुबन्ध के आधार पर ही भरा जायेगा। अनुबन्ध का प्रारूप इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.02.2011 के बिन्दु संख्या 2 स अनुसार रहेगा। इस संविदा नियुक्ति में भी आरक्षण के नियमों की अक्षरशः पालना की जावे एवं पूर्व में आरंक्षित वर्ग का ही प्रत्याशी अनुबन्धित किया जावे। यदि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना में जिले में किसी खास वर्ग के अभ्यर्थी अधिक हैं तो उनका समायोजन इन रिक्त रहे पदों में किया जावें । लेकिन दोनों को मिलाकर आरक्षण के अनुसार ही पदों को भरा जावे। ये समस्त प्रकिया, आपको 30.06.2011 तक सम्पादित करनी है।

अतः उक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय जिला परिषद,समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस